

सेवा में,

महोदय,

**विषय-** वर्ष 2017-18 के लिए कम्प्यूटरों, प्रिन्टरों व अन्य कम्प्यूटर सामग्री के संरक्षण के संबंध में।

कम्प्यूटरों, प्रिन्टरों व अन्य हार्डवेयर उपकरणों के रखरखाव हेतु कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। हार्डवेयर उपकरण जो वार्षिक संरक्षण के अन्तर्गत आते हैं वे अनुलग्नक 1 से 7 में दर्शित हैं। अनुरोध है कि कोटेशन वर्ष 2017-18 (01-अप्रैल-2017 से 31-मार्च-2018 तक) के लिए भेजें तथा जिनमें मदवार दर इंगित हों कोटेशन मुहरबंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 10 मार्च 2017 को 3.00 बजे अपराह्न से पहले प्राप्त हो जाने चाहिए। (अनुलग्नक 1 से 7 सूची संलग्न है जिसमें सभी कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरण शामिल हैं)।

### **नियम एवं शर्तें:**

- **सेवा का विषय क्षेत्र:** हार्डवेयर एवं कम्प्यूटरों से संबंधित सिस्टम सॉफ्टवेयर के सुचारु परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी सभी सेवाएं जैसे रुकावट, क्षतिग्रस्त होने संबंधी रखरखाव, आपातोपयोगी उपकरणों का प्रावधान रखना तथा उपलब्ध मशीनों से पैकेजेज को अनस्टाल करके उसी प्रकार की दूसरी हार्डवेयर मशीनों में पैकेजेज को रिलोड करना। एएमसी में रुकावट संबंधी रखरखाव तथा उसी प्रकार के पुर्जों का बदला जाना या उपरोक्त जो विन्यास में हों आदि जब कभी ऐसी आवश्यकता पड़े तो मुफ्त में बदला जाना शामिल होगा।
- कीमत मदवार यदि कोई कर हों तो उनके सहित इंगित की जानी चाहिए।
- उपकरण जिनकी एएमसी अवधि एक वर्ष से कम है उनकी आनुपातिक दर इंगित की जानी चाहिए।
- अपनी फ़र्म की प्रोफाइल जिसमें तकनीकी का स्तर, कार्मिक, मूलभूत सुविधाएं, एएमसी संचालन का अनुभव, ग्राहक सूची आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- अन्य कोई विशेष/मानयोजित सेवाएं।
- भुगतान की शर्तों का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करें।
- जैसा कि रखरखाव के लिए कम्प्यूटरों की संख्या काफी अधिक है तथा प्रिन्टर अलग-अलग भवनों में लगे हैं, यदि आपके कोटेशन अनुमोदित हो जाता है तो कम से कम **दो अभियंताओं** को कल पुर्जों (स्पेयर पार्ट्स) के साथ इस कार्यालय में ठहरना पड़ेगा।

- सभी कम्प्यूटर और प्रिंटर जिसमें सभी पार्ट्स (पुर्जे) शामिल हैं एक व्यापक एएमसी के तहत संरक्षित होने चाहिए। केवल उपभोज्य प्रिंटरों के (टोनर व कार्टरिज़) शामिल नहीं हैं।
- एएमसी विक्रेता के रूप में चयनित होने पर इस कार्यालय के साथ एक वैधानिक करार करना होगा।
- एएमसी कार्मिक जिसके साथ करार किया जाएगा उसे करार राशि के 5% राशि का डीडी, पीएओ आई.ए.डी. बेंगलूरु के नाम देय होगा, जो कि सफलता पूर्वक करार समाप्त होने पर एएमसी कार्मिक को वापस कर दी जाएगी।

यह <http://agkar.cag.gov.i/tender.asp>. वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

श्री चन्द्रा मोहन  
वरिष्ठ लेखाधिकारी (ओ.एम.)  
प्रधान महालेखाकार(ले.व.ह)  
कार्यालय, मुख्य भवन  
पार्क हाउस रोड,  
बेंगलूरु-560001

भवदीय,

श्री चन्द्रा मोहन  
व. लेखाधिकारी (ओ.एम)